10.10.17	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान के वकील की बहस प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 CPC के प्रश्न पर सुनी गई। प्रतिवादी-अप्रार्थी के वकील का कथन है कि वादी ने प्रार्थना पत्र 251 A के तहत प्रस्तुत किया है यह चलने योग्य नहीं है। खसरा नम्बर 185 रकबा 19-03-10 बीघा गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है। अत: यह प्रकरण 251 व 183 RTA के तहत रास्ता से अतिक्रमण हटाने का है। तथा अतिक्रमण हटाने हेतु राज्य सरकार को पक्षकार भी नहीं बनाया है। अत: प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। वादी के वकील ने अवगत कराया कि उन्होंने प्रार्थना पत्र ग्राम धांधोलाई के खसरा नम्बर 185 रकबा 19-03-20 बीघा गैर मुमकिन में रास्ता खुलासा कराया जावे। उभय वकील पक्षकार की बहस सुनी। प्रकरणगत भूमि पूर्व में ही रास्ते के रूप में दर्ज है अत: प्रकरण अंतर्गत 251 A RTA चलने योग्य नहीं होकर खारिज किया जाता है। मिसल नंबर से कम होकर शुमार फैसल हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो. खर्चा फरीकैन अपना अपना वहन करें। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। SDO Sarwar